रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 1972/भाद्र 16, 1894

No. 199] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 1972/BHADRA 16, 1

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September 1972

No. 37/1/V/72/T.—The following order by the President dated the 6th September, 1972, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

V. V. GIRI,
President."

September 6, 1972.

P. K. PATNAIK, Jt. Secy.

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1972

संख्या 37/1/5/72/वी०.—राष्ट्रपति का दिनांक 6 सितम्बर, 1972 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (2) के उप-खंड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, में एतद्द्वारा लोक सभा का सत्रावसान करता हूं ।

वी० वी० गिरि,
6 सितम्बर, 1972 । राष्ट्रपति ।"

पी० के० पटनायक, संयक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972